भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5669
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

'सखी वन स्टॉप सेंटर'

5669. **श्री हरीश चंद्र मीनाः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजस्थान राज्य में 'मिशन शक्ति' के कार्यान्वयन का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में उक्त मिशन के तहत 'सखी वन स्टॉप सेंटर' और 'महिला हेल्पलाइन' सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या 'मिशन शक्ति' के माध्यम से इन जिलों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने/रोकने और कानूनी सहायता प्रदान करने में कोई सुधार देखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या इन क्षेत्रों में 'मिशन शक्ति' की प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए कानून प्रवर्तन और सहायक कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): राजस्थान राज्य सहित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नीति आयोग द्वारा किया गया। इस अध्ययन में विभिन्न योजनाओं की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थिरता को संतोषजनक पाया गया।

रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए मिशन शक्ति दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएं अर्थात "संबल" और "सामर्थ्य" हैं। 'संबल' उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए है तथा 'सामर्थ्य' उप-योजना महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। 'संबल' उप-योजना में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत जैसे घटक शामिल हैं। 'सामर्थ्य' उप-योजना में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (एचईडब्ल्यू) घटक शामिल हैं ।

मंत्रालय मिशन शक्ति के अंतर्गत गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठकों के माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अलावा, मंत्रालय के अधिकारी भी बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सामयिक क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से मिशन शक्ति योजनाओं की समीक्षा करते हैं।

(ख) तथा (ग): वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) संबल उप-योजना का एक घटक है जो निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता है। ओएससी जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। टोंक और सवाई माधोपुर जिलों सहित राजस्थान राज्य में कुल 37 ओएससी कार्यशील हैं और इन्होनें स्थापना (01.04.2015) के बाद से 28.02.2025 तक 50,497 महिलाओं की सहायता की है।

राजस्थान राज्य में महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) कार्यशील है जो टोंक और सवाई माधोपुर जिलों सहित आपातकालीन और गैर-आपातकालीन जरूरतों के लिए महिलाओं को एक सार्वभौमिक टोल-फ्री नंबर (181) के माध्यम से 24 घंटे टेलीफोन सहायता प्रदान करती है। डब्ल्यूएचएल के द्वारा राजस्थान में 1 अप्रैल, 2015 से 28 फरवरी, 2025 के बीच 74,122 महिलाओं की सहायता की गई।

(घ): मंत्रालय ने मिशन शक्ति योजना के विभिन्न घटकों के कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए हैं। इसमें प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए), राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इत्यादि से विशेषज्ञ स्त्रोत व्यक्तियों को शामिल किया गया।

*****